न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः— हनुमानसिंह राठौड़, आर.ए.एस.
इस्तगासा संख्याः—26/19/2020
प्रार्थीः—

सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र जी जाति दर्जी निवासी—कीर्ति नगर मगरा पूंजला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीः—

कानाराम उर्फ कानिराम पुत्र श्री किशनाराम जाति मेघवाल निवासी मेघवालों का बास कीर्ति नगर मगरा पूंजला मण्डोर, जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 145,146,147,148 दण्ड प्रक्रिया संहिता।

आदेश दिनांकः— 06.02.2020

प्रार्थी की तरफ से 145, 146, 147, 148 सी.आर.पी.सी. के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा एक आवासीय भूखण्ड संख्या—सी—248 वाके कीर्ति नगर योजना जोधपुर श्रीमती कान्ता देवी पत्नी श्री पदमसिंह गहलोत जाति माली निवासी सी—86 प्रतापनगर जोधपुर से खरीद किया गया जिसका निष्पादन प्रार्थी के हक में दिनांक 3.6.13 को किया गया। उपरोक्त निस्पादन के पूर्व ही श्रीमति कान्ता देवी द्वारा मुझ प्रार्थी की उपरोक्त भूखण्ड का कब्जा सम्भला दिया गया था परन्तु अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूखण्ड पर जबरदस्ती अतिक्रमण किया गया जिसकी रिपोर्ट प्रार्थी द्वारा पुलिस थाना मण्डोर जोधपुर मे की जहां सुनवाई नहीं होने पर रिपोर्ट संबंधित न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या—5 जोधपुर महानगर द्वारा आदेश करने पर उपरोक्त अप्रार्थी के विरूद्ध मुकदमा अपराध अन्तर्गत धारा 420,447,120 बी आईपीसी में दर्ज कर प्रथम सूचना संख्या 39 दिनांक 4.2.14 में कायम की गई। थाना प्रभारी पुलिस थाना मण्डोर जोधपुर द्वारा उपरोक्त प्रकरण में अनुसंधान कर अप्रार्थी के विरूद्ध धारा 447 भा.द.सं. का अपराध बखूबी प्रमाणित होना पाये जाने पर अप्रार्थी कानाराम के विरूद्ध धारा 447 भा.द.सं. के आरोप पत्र न्यायालय श्रीमान् न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 5, जोधपुर महानगर में दिनांक 16.7.14 का प्रस्तुत किया गया जो आज भी अन्वीक्षाधीन हैं। अप्रार्थी द्वारा आज भी उपरोक्त भूखण्ड पर नाजायज कब्जा किया जाना अनवरत जारी है जबकि उस उपरोक्त भूखण्ड पर अप्रार्थी का कोई मालिकाना हक

उपखण्ड मजिस्ट्रेट

Scanned by CamScanner

नहीं हैं। कि उपरोक्त भूखण्ड का स्वत्व निर्विवाद रूप से प्रार्थी के पास है तथा उपरोक्त प्लोट का एक मात्र मालिकाना हक प्रार्थी के पास हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि भूमि के स्वामी के पास अगर जमीन संबंधित स्वामित्व बाबत स्पष्ट दस्तावेज उपलब्ध है तो वह उस भूमि पर अतिक्रमण कर्ता को बलपूर्वक निकाल सकता हैं। अप्रार्थी अनुसुचित जाति का सदस्य है तथा वह अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का भय दिखाकर नाजायज एवं असंवैधानिक रूप से उपरोक्त विवादित भूखण्ड पर कब्जा बनाए हुए है जिसकों हटाया जाना अति आवश्यक हैं। प्रार्थी एक शांतिप्रिय भारतीय नागरिक है ओर वह अपने अधिकारों को विधिक प्रक्रिया अपनाकर प्राप्त करना चाहता हैं। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को उपरोक्त प्लोट खाली करने हेतु कई बार कहा गया परन्तु अप्रार्थी झगडा व गाली गलोच व मारपीट पर उतारू हो गया जिससे मौके पर शांति व्यवस्था भंग होने की पूर्ण आशंका हैं। विवादग्रस्त हल्का थाना मण्डोर से होने से इस प्रार्थना पत्र की सुनवाई क्षेत्राधिकार श्रीमान न्यायालय को हैं।

अन्त में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके कीर्ति नगर योजना जोधपुर के मालिकाना हक बाबत स्थिति स्पष्ट नही हो जाती तब तक उपरोक्त प्लोट को धारा 145 दण्ड प्रक्रिया संहिता क अधीन कुर्क करने की कृपा करावे जिससे शांति व्यवस्था भंग न हो। अन्य कोई आदेश जो प्रार्थी के पक्ष में हो पारित फरमाया जावे।

थानाधिकारी की ओर से रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया कि प्रार्थी श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र राजेन्द्रसिंह उम्र 40 साल जाति दर्जी निवासी बाबु लक्ष्मणसिंह कॉलोनी गली नं. 01 महामंदिर तीसरी पोल के बाहर जोधपुर ने श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय के समक्ष पेश होकर एक लिखित रिपोर्ट पेश की मैंने दिनांक 03.06.2013 को एक प्लॉट पट्टासुदा है। मेरे उक्त प्लॉट पर कानाराम पुत्र किसनाराम जाति मेघवाल, उम्र 41 साल निवासी मेघवालों का बास कीर्तिनगर मगरा पूंजला जोधपुर द्वारा कच्ची झोपडी बनाकर रहता हैऔर मेरे उक्त प्लॉट पर कब्जा कर लिया हैं। उक्त रिपोर्ट पर प्र.स. 39 दिनांक 4.2.14 धारा 420,447,120 बी भादस मे दर्ज कराया जिसमें मुलजिम कानाराम उर्फ करनीराम के विरूध धारा 447 भादस में चालान माननीय न्यायालय में पेश किया जा चुका हैं। पुलिस द्वारा 145 सीआरपीसी के तहत कुर्की की कार्यवाही नही की जा रही हैं। वगैरा परिवार की जांच श्री लादूसिंह एचसी 652 से करवायी गयी।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
जोधपुर

Scanned by CamScanner

दौराने जांच परिवादी श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र राजेन्द्रसिंह से जांच की जाकर बयान लिये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। परिवादी द्वारा पूर्व में पेश रिपोर्ट प्र.स. 39/2014 धारा 420,विरूध जुर्म धारा 447 भादस में चालान माननीय न्यायालय में पेश किया जा चुका है। जिसकी आगामी तारीख पेशी 04.02.2020 नियत हैं। उक्त प्रकरण में न्यायालय में विचाराधीन हैं। परिवादी द्वारा धारा 145 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही करवाने का निवेदन किया है। उक्त भूखण्ड के संबंध में मामला न्यायालय में विचारधीन हैं। तथा आरोपी कानाराम का कब्जा सन् 2014 से 5–7 साल पुराना बताया है तथा तब से ही आरोपी निर्बाध रूप से उक्त जमीन पर काबिज है तथा कब्जे को लेकर मौके पर कोई विवाद नही है । मात्र कागजों के रिकार्ड के आधार पर सुरेन्द्र कुमार उक्त प्लॉट का स्वामी हैं। मौके पर इतने वर्षो से काबिज कानाराम ही है। तथा न्यायालय में उसका चालान भी हो रखा हैं। इसलिए 145 सीआरपीसी का मामला नही बनना पाया जाता है। फिर भी विवाद का अंदेशा देखते हुए दोनों पक्षों को 107,116 (3) सीआरपीसी में पाबंद करवाया जा रहा हैं। अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश हैं।

प्रार्थना पत्र एवं रिपोर्ट का अध्ययन किया गया। थानाधिकारी पी.एस. मण्डोर ने इस्तागासा जांच के दौरान बताया कि भूखण्डो के सम्बंधं मे विवाद न्यायालय में विचाराधीन है तथा धारा 447 भा.द.स. के तहत पेश हुआ है। मौके पर कोई विवाद नहीं है। धारा 145 सी.आर.पी.सी. के तहत मामला नहीं बनना बताया है फिर भी विवाद का अंदेशाा देखते हुए दोनो पक्षों को 107, 116(3) सी.आर.पी.सी. के तहत पाबंद करवाया जा रहा है। ऐसी अवस्था में थानाधिकारी की जांच रिपोर्ट अनुसार प्रकरण 145 सी.आर.पी.सी. के तहत नहीं बनता है। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

हनुमानसिह राठौड़, (आर.ए.एस.)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जोधपुर
उपखण्ड मजिस्ट्रेट

आदेश आज दिनांक 6/02/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हनुमानसिह राठौड़, (आर.ए.एस.)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जोधपुर
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
जोधपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Singh Rathore
Date: 2020.02.20 17:42:00 IST
Reason: SelfAttested
Location: